संख्या-125/2016/784/22-2-2016-17(241)/2006

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2016***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व बन्दी दूधनाथ पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13454/पर-3(एम-25-04-2016) दिनांक-04-05-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्व बन्दी, दूधनाथ पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी ग्राम आमा, थाना-सोनहा, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी के भाई सीताराम द्वारा प्रेम विवाह किये जाने पर बन्दी के बडे भाई हरीराम ने नाराज होकर उसे पैतृक घर से निकाल दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी ने हरीराम पर तेजाब फेंक दिया। इसी बात से नाराज होकर बन्दी ने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 18-01-1990 को सायं लगभग 08-00 बजे चाकू से मारकर श्रीमती राजेश्वरी की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-74/1990 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा दिनांक 11-05-1993 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2016 तक 22 वर्ष 05 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 29 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती ने अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी के भाई सीताराम द्वारा प्रेम विवाह किये जाने पर बन्दी के बडे भाई हरीराम ने नाराज होकर उसे पैतृक घर से निकाल दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी ने हरीराम पर तेजाब फेंक दिया। इसी बात से नाराज होकर बन्दी ने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 18-01-1990 को सायं लगभग 08-00 बजे चाकू से मारकर श्रीमती राजेश्वरी की हत्या की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी दूधनाथ पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-बस्ती को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दूधनाथ (बन्दी संख्या-13628) पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

**संख्या-125/2016/784(1)/22-2-2016 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बस्ती ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्ंया-125/2016/784@22-2-2016-17(241)/2006**

**दिनांक 17 अगस्त, 2016 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी दूधनाथ (बन्दी संख्या-13628) पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी ग्राम आमा, थाना-सोनहा, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी के भाई सीताराम द्वारा प्रेम विवाह किये जाने पर बन्दी के बडे भाई हरीराम ने नाराज होकर उसे पैतृक घर से निकाल दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी ने हरीराम पर तेजाब फेंक दिया। इसी बात से नाराज होकर बन्दी ने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 18-01-1990 को सायं लगभग 08-00 बजे चाकू से मारकर श्रीमती राजेश्वरी की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-74/1990 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती द्वारा दिनांक 11-05-1993 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2016 तक 22 वर्ष 05 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 29 वर्ष 09 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती ने अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी के भाई सीताराम द्वारा प्रेम विवाह किये जाने पर बन्दी के बडे भाई हरीराम ने नाराज होकर उसे पैतृक घर से निकाल दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी ने हरीराम पर तेजाब फेंक दिया। इसी बात से नाराज होकर बन्दी ने एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 18-01-1990 को सायं लगभग 08-00 बजे चाकू से मारकर श्रीमती राजेश्वरी की हत्या की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी दूधनाथ पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-बस्ती को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।